सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं0: 7535/1013/2017 दिनांक: 14.08.2017

श्री दिलीप कुमार मेहतो R3908
पुत्र श्री इन्द्र देव महतो
पता – ई1/348, गली नं: 8
लक्ष्मी विहार, प्रेम नगर – 3
किराड़ी, दिल्ली – 110087 वादी नं: 1

श्री जमिल मलिक R3909
पुत्र श्री शाहबुददीन
पता – ग्राम व पोस्ट – पानची
जिला – मेरठ, उत्तर प्रदेश – 245206 वादी नं: 2

श्री हरजीत सिंह R3910
पुत्र श्री गुरनाम सिंह
पता म.न. 33 – ए, दूसरा तल
गली नं: 02, राधेश्याम पार्क, दिल्ली – 51 वादी नं: 3

बनाम

मोती लाल नेहरू कॉलेज सांध्य R3911
द्वारा प्रधान
बेनिटो जुआरेज रोड़
नई दिल्ली – 110021 प्रतिवादी नं: 01

दिल्ली विश्वविद्यालय R3912
द्वारा रजिस्ट्रार
माल रोड, नई दिल्ली – 110007 प्रतिवादी नं: 02

सुनवाई की तिथि: 17.07.2017

उपस्थित :

- प्रार्थी – श्री जमिल मलिक, श्री दिलीप कुमार मेहतो एवं श्री एस. आलम
- श्री राजेश हानडु, प्रशासनिक अधिकारी, प्रतिवादी की ओर से।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ताओं श्री दिलीप कुमार मेहतो, श्री जमिल मलिक एवं श्री हरजीत सिंह ने मोती लाल नेहरू कॉलेज सांध्य में आरक्षित शारीरिक विकलांग (ओएच) कोटे नॉन टीचिंग के सीनियर असिस्टेंट पद से संबंधित शिकायत – पत्र दिनांक रहित निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

...2...

2. शिकायतकर्ताओं का अपनी शिकायत में कहना है कि उन्होंने मोती लाल नेहरू कॉलेज सांध्य, नई दिल्ली में नॉन टीचिंग के सीनियर असिस्टेंट के पद जो कि शारीरिक विकलांग (ओएच) कोटे के लिए आरक्षित था हेतु ऑनलाईन आवेदन किया था। कॉलेज प्रशासन द्वारा उपरोक्त परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का चयन दिनांक 30.03.2015 को नोटिस जारी करके दिया गया। प्रार्थियों का आगे कहना है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा दिनांक 04.05.2016 को उपरोक्त पद हेतु ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। प्रार्थियों का निवेदन है कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके टेस्ट पास किया है एवं इंटरव्यू के इंतजार में काफी समय से परेशान हो रहे है प्रार्थियों का आगे कहना है कि उपरोक्त पद हेतु यदि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इंटरव्यू प्रोसेस को समाप्त कर दिया गया है तो मेरिट बेस के आधार पर उपरोक्त पद को तुरन्त भरा जाये।

3. मागला अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत प्रतिवादी से दिनांक 06.03.2017 को उठाया गया।

4. Oftg. Principal, Motilal Nehru College (Evening), New Delhi vide letter dated 29.03.2017 has submitted that the college had advertised the post of Sr. Assistant (reserved for OH) including various others posts of Non-Teaching. As per the University rules, the college had completed/conducted all necessary written examinations for the said posts and had declared the result as well. The college also had requested the Unversity to send the names of External Expert for holding meetings of the Selection Committees for conducting interview for the said posts. But the college did not receive the names of External Expert from the University of Delhi for interview. As a result of it, the matter relating to recruitment remained pending for a long time. Meanwhile, the required period of 18 months for completing the recruitment process had elapsed before the college received replies and notification regarding discontinuation of interview for the non-teaching posts upto the level of post of "B" category. Hence, the college had to re-advertise the said posts.

5. Complainants vide rejoinder dated nil has inter-alia submitted that the College had sent a the letter to the University asking for the name of external experts after declaring the result in the instant case but the college did not take action on the DOP&T's order dated 29.12.2015 regarding no interview policy. The complainant further submitted that if University of Delhi did not reply on the names of the external experts then why the college did not send reminders again and again or why the college did not fill the posts on merit basis.

6. प्रतिवादी के पत्र दिनांक 29.03.2017 एवं वादियों के टिप्पण दिनांक रहित के मद्देनज़र दिनांक 17.07.2017 को सुनवाई रखी गई। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी सं0–2 (दिल्ली विश्वविद्यालय) की अनुपस्थिति को इस न्यायालय ने गंभीरता से लिया है चूंकि वे प्रस्तुत मामले में अपनी जवाबदेहिता हेतु वांछनीय थे।

7. सुनवाई के दौरान दिनांक 17.07.2017 को पाया गया कि भर्ती प्रक्रिया सभी उम्मीदवारों के लिए निरस्त हुई न कि केवल उक्त प्रार्थियों के लिए। परन्तु न्यायलय ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया है कि संबंधित कॉलेज द्वारा यथोचित कार्यवाही हेतु चयन समिति की मीटिंग के लिए बाहरी विशेषज्ञों (Experts) के नामों की सूची मांगने के बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उक्त मुद्दे पर लम्बे समय तक चुप्पी साधे रहना व कोई प्रत्युत्तर/निर्देश न देना अवांछनीय प्रशासनिक देरी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में लाकर सुधारने की आवश्यकता है, ताकि

दिव्यांगजन के संदर्भ में अधिकारों का हनन न होने पाए। चूंकि वादी संख्या 01 ने इस बात की पुष्टि की है कि उक्त पदों हेतु निर्वाचन प्रक्रिया पुनः विज्ञापन के द्वारा शुरू की गई है, अतः इस न्यायालय द्वारा अब किसी विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझी जाती।

8. उक्त मुद्दा दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 38 के तहत खारिज किया जाता है।

(डॉ कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन)